

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : २७७ (२५१८) डा०.५२ गौपा.५० बनाम हनुमान (२५१५)
७.३०५/२०१६

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी की मृत्यु के सम्बन्ध में सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वकील प्रार्थी, प्रार्थी महन्त रसिक बिहारी शरण को फौत होना जाहिर किया है और आगे पैरवी के कोई निर्देश प्राप्त न होना जाहिर किया है। आज प्रार्थी के न तो कोई प्रतिनिधि उपस्थित है और न ही प्रार्थी के एडवोकेट उपस्थित है। वरवक्त सुनवाई वकील अप्रार्थीगणों द्वारा यह तथ्य जाहिर किये गये हैं कि इस आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार, सांगानेर द्वारा पृथक से रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी पुष्टि रा० रेफ० सं०-३८७/२०१६ उनवानी सरकार बनाम हनुमान सहाय वगैराह ता०पै०-१२.१०.२०२१ से होती है। ऐसी स्थिति में जबकि इस आराजी का तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हुआ है और वह लम्बित है, तो इस प्रकरण के प्रार्थी की मृत्यु होने तथा एडवोकेट को आगे पैरवी के कोई निर्देश प्राप्त न होने के कारण यह रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र निष्फल (Infructuous) हो जाता है परन्तु प्रकरण में की गई निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में लम्बित है ऐसी स्थिति में प्रकरण को रेफरेन्स प्रकरण संख्या-३८७/२०१६ उनवानी सरकार बनाम हनुमान सहाय वगैराह के हमफीता रखा जाना उचित पाते हैं। अतः दास्त पत्रावली, रेफरेन्स प्रकरण संख्या-३८७/२०१६ उनवानी सरकार बनाम हनुमान सहाय वगैराह के हमफीता हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक १२.१०.२०२१ को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर